न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –154/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. रूघाराम पुत्र राजूराम 2. पेमाराम पुत्र राजूराम 3. किरताराम पुत्र राजूराम 4. चम्पा पत्नी राजूराम 5. नारायणराम पुत्र कोजाराम 6. पुरखाराम पुत्र कोजाराम 7. भेराराम पुत्र रेंवतराम 8. चन्दणी पत्नी रेंवतराम समस्त जाति जाट निवासीगण खडकाली तहसील खींवसर जिला नागौर		तहसीलदार, खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 15-2-18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2017 ग्रामीण खडकाली बनाम रूघाराम वगैरा अधीन धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.12.2017 को प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्रामीण तुलछाराम वगैरा निवासीगण खडकाली ने दिनांक 08.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार खींवसर के समक्ष पेश कर कथन किया कि गांव खडकाली के खसरा नम्बर 656 व 659 में से चल रहे रास्ते को खसरा नम्बर 656 के खातेदार किरताराम वगैरा ने बंद कर दिया है तथा कई ढाणियों के आने जाने का रास्ता है जो काफी वर्षो से चल रहा है तथा हल्का पटवारी से जांच करवाई गयी तो खसरा नम्बर 656 में रास्ता बंद की रिपोर्ट प्राप्त हुई। आगे यह भी निर्णय में उल्लेख किया गया कि अप्रार्थीगण दिनांक 12.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप से रास्ता मौके पर खुला होने का कथन भी किया गया। वस्तु स्थिति की पटवारी से रिपोर्ट ली, रास्ता बंद पाया गया। तत्पश्चात् अपीलांट्स के विरूद्ध दिनांक 13.12.2017 को खसरा नम्बर 656 में चल रहे रास्ते को खोलने व खुला रखने का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्ध पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि रास्ता कटाणी नहीं हो और कदीमी चलना साबित हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा बंद कर दिया जाता है तो उसको खुलवाने के लिए सर्वप्रथम न्यायालय संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन पेश करना होता है, उसके पश्चात् अगर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन तक भी तो कोई आदेश पारित कर दिया जाता है या आदेश पारित नहीं किया जाता है तो

उक्त 45 दिन की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् ही न्यायालय तहसीलदार को सुनने का क्षेत्राधिकार है उसके पश्चात् ही तहसीलदार को ऐसा आदेश पारित करने की कानूनी शक्ति है अन्यथा नहीं। जबकि हस्तगत प्रकरण में सीधा ही आवेदन तहसीलदार को पेश किया गया है इसलिए ऐसा आवेदन सुनना व उसमें आदेश पारित करना, विधि विरूद्ध होने व कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से आदेश/निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

जिस व्यक्ति तुलछाराम द्वारा आवेदन पेश करना बताया गया है उसके खेतो के लिए जहां रास्ता बताया है वहां कभी कोई रास्ता नहीं रहा न आज दिन है, शिकायतकर्ता के रास्ता दुसरी तरफ से लगता है जो रास्ता दूरी पर होने से उक्त शिकायतकर्ता नजदीकी रास्ता बिना प्रावधान के प्राप्त करना चाहता है जबकि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है न ही धारा 251 या 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में है न सिविल विधि में ऐसा प्रावधान है इसलिए शिकायतकर्ता विधि सम्मत कार्यवाही कर आदेश पारित करवा सकता है इसके विपरीत नहीं जबकि हस्तगत प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध है।

हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 656 वाके मौजा खडकाली में कभी भी कोई रास्ता की मौके की रिपोर्ट नहीं बनाई, न हीं मौके पर आकर कोई रिपोर्ट बनाई है, न ही हम अपीलांट्स या अन्य खातेदार को सूचना दी गयी है। यदि ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई है, तो मौके के हालात के विपरीत बाले बाले बनाई है, जिसके आधार पर न्यायालय तहसीलदार खींवसर ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर गलत रूप से आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

संबंधित पक्षकारों की विधि सम्मत कोई तामिल नहीं करवाई एंव तामिल करवाने के पश्चात् अपीलांट को अपना जवाब, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज, मौखिक साक्ष्य आदि पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, न ही ऐसे नोटिस तामिल होने आदेश में बतलाये गये है। इसलिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत् यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ही विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जबकि हस्तगत निर्णय/आदेश में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अगर पक्षकारान को सुने बिना व साक्ष्य सबूत लिये बिना, जबरदस्ती इस आदेश की पालना करवाई गयी तो हम अपीलांट काश्तकारों को भारी नुकसान होगा तथा नया रास्ता खोल दिया जायेगा जिससे भी कई तरह के वाद विवाद व पेचीदगीयां पैदा होगी, झगडे, मुकदमेबाजी बढेगी जिससे अपीलांट को भारी क्षति व असुविधा होगी। इसलिए उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं देने व विधि सम्मत आदेश पारित नहीं होने से भी निर्णय/आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय/आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध पारित किया होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के पृष्ठ संख्या 263 एंव आरआरडी अप्रेल 2002 पेज संख्या 215, आरआरडी 1996 पेज संख्या 483, आरआरडी 1994 पेज संख्या 444, आरआरटी 2014–15 (Supp.) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि कदीमी रास्ते के मामलों में प्रथम सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन की समयावधि में विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं करने पर ही तत्पश्चात् तहसीलदार को ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही करने की शक्तियां है। इसलिए हस्तगत प्रकरण विधि सम्मत निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एंव वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तुलछाराम, दुलीचंद व मोहनराम वगैरा ने तहसीलदार खींवसर के समक्ष दिनांक 08.12.2017 को ग्राम खडकाली के खसरा नम्बर 802 में सें होकर खसरा नम्बर 656 व 659 के मध्य से होता

हुआ खसरा नम्बर 651 तक रास्ता जाता है। उक्त रास्ता पर खसरा नम्बर 656 के खातेदार किरताराम पुत्र राजूराम जाट निवासी खडकाली द्वारा रास्ते पर तारबंदी कर रास्ता पूर्णतया अवरूद्ध करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बंद रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया किया, जिस पर तहसीलदार खींवसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 12 / 2017 ग्रामीण खडकाली बनाम रूघाराम वगैराह दिनांक 08.12.2017 को दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 13.12.2017 के द्वारा ग्राम खडकाली के खसरा नम्बर 656 में से चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत् कदीमी रास्ता खोलने का आदेश दिया गया।

उक्त संबंध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 के संबंध में राजस्व (गुप–4) विभाग की अधिसूचना एस.ओ. 88, सितम्बर 4, 1982 के अनुसार "राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 151 की उप धारा (1) द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त, भूधारकों द्वारा मार्ग के अधिकार का अन्य सुखाचार या अधिकार के वास्तविक उपयोग में विघ्न डाले जाने से संबंधित आवेदन–पत्रों को निपटारा करने की शक्ति का प्रयोग, उस ग्राम की, जिसमें कि भूमि अवस्थित है, ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। तहसीलदार द्वारा इस निमित प्राप्त किए गए आवेदन–पत्रों की प्रविष्टि इन आवेदन पत्रों को निपटारे के लिए रखने जाने वाले रजिस्टर में सम्यक् रूप से की जाएगी और इसके पश्चात् निपटारे के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को अग्रेषित कर दिए जायेंगे। ऐसे मामलों में, जिनमें ग्राम पंचायत सीधे अथवा तहसीलदार के माध्यम से आवेदन–पत्र का इसके प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के भीतर निपटारा करने में विफल रहता है, तो उक्त मामले में ग्राम पंचायत की कोई अधिकारिता न रहेगी और आवेदन पत्र अधिकारिता वाले तहसीलदार को तुरंत अग्रेषित कर दिया जायेगा जो अपने द्वारा इसकी प्राप्त से 30 दिन के भीतर जांच और निपटारा करेगा। उन मामलों में जिनमें ग्राम पंचायत 45 दिन की समाप्ति की तुरंत पश्चात आवेदन--पत्र अग्रेषित नहीं करती है तो अधिकारिता वाले तहसीलदार को ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र वापस मंगाने और उसका निपटारा करने की शक्ति होगी।"

उक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि ऐसे रास्तों के वास्तविक उपयोग में विघ्न डाले जाने से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस की अवधि में निपटारा किये जाने एंव यदि ऐसा आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा ऐसे आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिए था एंव यदि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे आवेदन पत्र का निर्धारित समयावधि में निर्णय पारित नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार को संबंधित ग्राम पंचायत से ऐसा आवेदन पत्र मंगवा कर तत्पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में निर्णय किया जाना चाहिए था, परन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार खींवसर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 8.12.2017 को तहसीलदार खींवसर द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को नहीं भिजवाया कर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार खींवसर को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 13.12.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खींवसर को पुनः प्रतिप्रेषित कर, प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुरूप पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सबूत एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश किये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल रिकॉर्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर